<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

दाण्डिक अपील क्रमांक 826/2002

अपीलार्थी(कारागार में):

बालकिशुन, आत्मज शिवनाथ, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी तुरगा, थाना लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुध्द

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

<u>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपील</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 826/2002

बालकिशुन

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

एकल न्यायपीठ: **माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: -

श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 16-02-2006 को पारित)

यह अपील श्री पी.एन.एस. चौहान, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 357/2001 में पारित निर्णय दिनांक 29-06-2002 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की

धारा 376 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया था और 7 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया था।

2. अभियोजन का कथानक संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 07-04-2001 को सुबह लगभग 8 बजे, फूलमती (अभि.सा.-1) महुआ एकत्र करने के लिए जंगल गई थी। घर लौटते समय, अपीलार्थी उसे मिला और उसे रुकने के लिए कहा। इनकार करने पर, अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरन बलात्कार कारित किया। अभियोक्त्री घर लौटी और घटना की सूचना बनारसी बाई (अभि.सा.-2) को दी। अभियोक्त्री का पति अगले दिन ग्राम लुसगा से घर लौटा। दिनांक 08-04-2001 समय रात्रि 08.15 बजे फूलमती (अभि.सा.-1) द्वारा थाना लखनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1)दर्ज कराई गई, जो घटनास्थल से लगभग 20 कि.मी. दूर स्थित है। अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण पर, डॉ. श्रीमती आशा बंसल ने पाया कि योनि परीक्षण दर्दनाक था और श्लेष्मा झिल्ली में सूजन थी। उन्होंने अभिमत दिया कि अभियोक्त्री लैंगिक संभोग की अभ्यस्त थी। अभियोक्त्री का पेटीकोट दिनांक 09-04-2001 को प्रदर्श पी-9 के माध्यम से जब्त किया गया और उसे योनि स्लाइड के साथ, जिसे डॉ. श्रीमती आशा बंसल (अभि.सा.-6) द्वारा सिद्ध किया गया था, दिनांक 16-05-2001 को रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। यद्यपि, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियुक्त को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। डॉ. अशोक कुमार (अभि.सा.-4) ने उसका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण करने पर पाया कि वह लैंगिक संभोग करने में सक्षम था। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोयोजन चलाया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोष से इनकार किया। अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में 9 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त-अपीलार्थी ने प्रतिवाद में निर्दोष होने का तर्क दिया और एक साक्षी जंगली राम (बचा.सा.-1) का परीक्षण कराया। विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिसकी पुसंष्टि बनारसी बाई (अभि.सा.-2), मंगल (अभि.सा.-3) के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) और डॉ. श्रीमती आशा बंसल (अभि.सा.-6) के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा हुई थी, अपीलार्थी को कंडिका-1 में उल्लेखित अनुसार सिद्धदोष ठहराया और दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है, जो कि बनारसी बाई (अभि.सा.-2) के प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह भी इंगित किया गया कि अभियोक्त्री के पति मंगल (अभि.सा.-3) ने अपीलार्थी के साथ पूर्व वैमनस्य से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया है, जो कि बनारसी बाई (अभि.सा.-2) के परिसाक्ष्य की कण्डिका-3 से प्रमाणित होता है। अंत में, अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन

किया कि अभियोजन द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को भी सिद्ध नहीं किया गया था।

4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए हैं।

5. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 357/2001 के अभिलेख का परिशीलन किया है। फूलमती (अभि.सा.-1) ने परिसाक्ष्य दिया कि सुबह लगभग 8 बजे जब वह महुआ एकत्र कर घर लौट रही थी, रास्ते में उसे अपीलार्थी मिला और अपीलार्थी ने उसे रुकने के लिए कहा और उसके इनकार करने पर उसे पकड़ लिया और उसका मुँह दबाकर, उसकी साड़ी उठाकर उसके साथ बलात्कार कारित किया। तत्पश्चात, अपीलार्थी भाग गया। वह रोने लगी और घर लौटकर घटना की सूचना बनारसी बाई (अभि.सा.-2) को दी। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण में, अपीलार्थी द्वारा उसके साथ कारित बलात्कार के विषय में उसके परिसाक्ष्य का खंडन करने हेतु कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री से घटना के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। बनारसी बाई (अभि.सा.-2) ने फूलमती (अभि.सा.-1) के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है कि घर लौटने पर उसने उसे बताया था कि अपीलार्थी ने जंगल में उसके साथ बलात्कार किया था। उसने आगे कथन किया कि घटना के दिन अभियोक्त्री का पति ग्राम लुसगा गया हुआ था। डॉ. श्रीमती आशा बंसल (अभि.सा.-6) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने दिनांक 09-04-2001 को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री का परीक्षण किया था और पाया कि योनि परीक्षण दर्दनाक था और श्लेष्मा झिल्ली में सूजन थी।

6. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए अस्पष्टीकृत विलंब के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का प्रश्न है, तो वह खारिज किए जाने योग्य है। घटना दिनांक 07-04-2001 की सुबह हुई थी। साक्ष्य यह दर्शाता है कि अभियोक्त्री का पति घर पर उपस्थित नहीं था और ग्राम लुसगा गया हुआ था तथा अगले दिन लौटा था। रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 08-04-2001 को रात्रि 08.15 बजे थाना लखनपुर में दर्ज कराई गई थी, जो घटनास्थल से लगभग 20 कि.मी. दूर स्थित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में विलंब के उक्त कारणों का भी उल्लेख किया गया है। यह सत्य है कि बनारसी बाई (अभि.सा.-2) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में उसके परिसाक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियोक्त्री के पति मंगल (अभि.सा.-3) का अपीलार्थी के प्रति द्वेष भाव था। यह भी सत्य है कि मंगल (अभि.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में अपीलार्थी के साथ शत्रुता उत्पन्न करने वाले तथ्यों के प्रति अनभिज्ञता दर्शायी है, किंतु शत्रुता एक दोधारी तलवार है और इसका उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकरण में, अभियोक्त्री से प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि उसने अपने पति की अपीलार्थी के साथ शत्रुता के कारण उसे झूठा फंसाया था। यह अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होता है कि कोई भी विवाहित महिला केवल अपने पति की अपीलार्थी के साथ किसी शत्रुता के कारण स्वयं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के साथ बलात्कार कारित होने की झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि इस प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, बचाव पक्ष के लिए निर्रथक है। अभियोक्त्री एक विवाहित महिला है और पेटीकोट पर पाए गए वीर्य स्वतः ही अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रबल परिस्थिति नहीं बनाएंगे।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उसकी समग्रता में विचार करने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित मत है कि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, प्रतिपरीक्षण में अखंडित है और न केवल बनारसी बाई (अभि.सा.-2) और मंगल (अभि.सा.-3) द्वारा अपितु डॉ. श्रीमती आशा बंसल (अभि.सा.-6) के चिकित्सीय साक्ष्य और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) द्वारा विधिवत पुष्ट है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके अधीन अधिरोपित दंड में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. परिणामतः, यह अपील गुणदोष रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है। अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अधिरोपित दंड को यथावत रखा जाता है।

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur